न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 42 / 2023
दायर दिनांक : 14 / 09 / 2023
निर्णय दिनांक : 17 / 12 / 2024

उनवान

1. रमेशचंद उर्फ रमेशनाथ पिता मगनमोहन नाथ योगी निवासी बूल तहसील भूपालसागर
2. मुकेश पिता प्रकाशचंद योगी निवासी बूल तहसील भूपालसागर
3. विनोद पुत्र प्रकाशचंद योगी निवासी बूल तहसील भूपालसागर
4. कैलाश कुवर पत्नी प्रकाशचंद योगी निवासी बूल तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. भूपेश नाथ पिता मगनमोहन नाथ योगी निवासी बूल तहसील भूपालसागर
2. सुरेशनाथ पिता मगनमोहन नाथ योगी निवासी बूल तहसील भूपालसागर
3. गणपत पुत्र दल्लीचंद जाट निवासी भूपालसागर तहसील भूपालसागर
4. माधुलाल पिता भैरूलाल जाट निवासी बूल तहसील भूपालसागर
5. मदननाथ पिता हीरानाथ योगी निवासी बूल तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि **ग्राम बूल प0 ह0 बूल तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी के प्रार्थीगण के खातेदारी के हाल खाता संख्या 259 की आराजी न0 1232 रकबा 0.45 है0, आराजी न0 714 रकबा 0.48 है0 आराजी न0 715 रकबा 0.18है0 आराजी न0 716 रकबा 0.07 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.18 है0 तथा खाता सं 42 के आ0स0 711 रकबा 0.05 है0 रास्ता तथा खाता सख्या 258 के आ0स0 1196 रकबा 0.02 है0 आ0स0 1198 रकबा 0.03 है0 आ.चा., आ0स0 1661 / 1233 रकबा 0.02 है0 आ0स0 1662 / 1234 रकबा 0.06 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.13 है0** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खडी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं [illegible] कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया [illegible] करण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय प्राप्त कर साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायाल[illegible] हो। निर्णय आज दिनांक पावन तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] 17.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.18 17:31:44 IST
Reason: SelfAttested

(पुनीत कुमार [illegible])
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
भूपालसागर